राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

दो न्यायाधीश विशेष अपील (रिट) संख्या 641/2021

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6194/2021

रामजीलाल जांगिड पुत्र श्री सोनी लाल, आयु लगभग 80 वर्ष, निवासी एस-2, सिनेमा स्कीम, जनता कालोनी, आदर्श नगर, जयपुर (राजस्थान)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, इसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, प्रधान कार्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
2. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), आरएसआरटीसी, मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य प्रबंधक, आरएसआरटीसी, सीबीसी डिपो जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री अंशुमन सक्सेना एडवोकेट.
प्रत्यार्थी (गण) की ओर से : श्री विनायक कुमार जोशी एडवोकेट

<u>माननीय कार्वाहक मुख्य न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव</u>

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति समीर जैन</u>

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>06/04/2022</u>

सुना गया।

एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 28.05.2021 के आदेश को चुनौती मुख्य रूप से इस कानूनी आधार पर दी गई है कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी पेंशन विनियम, 1989 (इसके बाद '1989 के विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियम 4 के तहत आदेश, सुनवाई का अवसर दिए बिना, पेंशन को रोकने के लिए पारित नहीं

किया जा सकता है।

अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि आदेश के गंभीर सिविल परिणाम होते हैं और शक्ति का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रकृति में विवेकाधीन है कि किस हद तक पेंशन रोकी जा सकती है या जिस अवधि के लिए रोक का ऐसा आदेश जारी रहेगा, सुनवाई का अवसर नहीं देने से अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता के मामले को गंभीर रूप से पूर्वाग्रह हुआ है। इसलिए पेंशन रोकने का आदेश शुरू से ही अमान्य है।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने कहा कि एकलपीठ का आदेश यह नहीं दर्शाता है कि अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का ऐसा कोई तर्क दिया था। दूसरे, वह यह कहेंगे कि यह आदेश 1989 के विनियमों के विनियम 4 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, इसलिए, प्राधिकरण के पास ऐसा आदेश पारित करने का अधिकारक्षेत्र था। तीसरा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुद्दे पर, वह कहेंगे कि चूंकि प्रत्यर्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए, इस स्तर पर, वह इस पहलू पर निश्चित बयान देने में असमर्थ है।

हमने पाया है कि अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा 28.04.2021 के एक आदेश की शुद्धता और वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता की पेंशन रोक दी गई थी। रिट याचिका में न केवल आधारों में, बल्कि याचिका के निकाय में एक से अधिक स्थानों पर, साफ और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लागू आदेश सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था।

हम पाते हैं कि विद्वान एकलपीठ ने अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए बिना इस आधार पर मामले का फैसला किया कि दोषसिद्धि पर पेंशन रोकने के आदेश में कोई विवेक शामिल नहीं है और दोषसिद्धि का आदेश दिए जाने के बाद इस तरह के आदेश को आवश्यक रूप से पारित किया जाना चाहिए। संभवतः इस तरह के विचार पर, रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

1989 के विनियम 4 में कतिपय परिस्थितियों में पेंशन रोकने का प्रावधान है। यह प्रावधान निम्नानुसार है:-

"4. **<u>पेंशन प्रदान करने के लिए अच्छा आचरण और शर्त</u>**

(1) भविष्य में अच्छा आचरण पेंशन के प्रत्येक अनुदान की एक अंतर्निहित शर्त होगी। पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, पेंशन या उसके भाग को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकता है या वापस ले सकता है यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है या गंभीर गलत आचरण का दोषी पाया जाता है। परन्तु इस खंड के अधीन पेंशनभोगी की सेवा से सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उसके द्वारा धारित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(2) जहां किसी पेंशनभोगी को न्यायालय द्वारा गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जाता है, वहां खंड (1) के तहत कार्रवाई ऐसी दोषसिद्धि से संबंधित न्यायालय के निर्णय के आलोक में की जाएगी।

(3) खंड (2) के अंतर्गत न आने वाले मामले में, यदि खंड (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी यह मानता है कि पेंशनभोगी प्रथम दृष्टया गंभीर दुराचार का दोषी है, तो वह खंड (1) के अधीन आदेश पारित करने से पहले निम्न करेगा:

(क) पेंशनभोगी को एक नोटिस दे, जिसमें उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और उस आधार को निर्दिष्ट किया जाए जिस पर यह कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है और उसे नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने वाले पंद्रह दिनों से अनधिक समय तक ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, जो वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहता है, और

(ख) खंड (क) के अधीन पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार किया जाए।

(4) "जहां खंड (1) के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निगम का अध्यक्ष है, अध्यक्ष अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है।

विनियम के विभिन्न भागों के अवलोकन से पता चलता है कि उप-विनियम (1) और (2) ऐसी स्थिति का निपटान करते हैं जहां एक पेंशनभोगी को दोषी ठहराया जाता है, उप-विनियम (3) उप-विनियम (1) या (2) के तहत कवर नहीं किए गए मामले से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा मामला जहां पेंशनभोगी को प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है। विनियम का दूसरा पहलू यह है कि उप-विनियमन (3) के तहत, पेंशनभोगी को नोटिस देने की आवश्यकता होती है, जिसमें अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई और उन आधारों को भी निर्दिष्ट किया जाता है जिन पर यह कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है और उसे नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है या ऐसा और समय जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है, पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उप-विनियम

(1) और (2) में वर्णित परिस्थितियों में पेंशन रोकने की कार्रवाई की जाती है, तो प्रस्ताव के विरुद्ध ऐसा कोई अभ्यावेदन किया जा सकता है, जिसमें प्राधिकारी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता न हो।

यदि हम 1989 के विनियम 4 के उप-विनियम (1) को पढ़ें, तो हम पाते हैं कि पेंशन रोकना स्वचालित नहीं है, लेकिन यह विभिन्न प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के विवेक पर निर्भर करता है। इसके अलावा, यदि पेंशनभोगी को किसी गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो पेंशन या उसके हिस्से को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने का अधिकार है। उप-विनियम (2) केवल यह दर्शाता है कि दोषी ठहराए जाने का आदेश देने वाले न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को अपने विवेक का उपयोग करने की आवश्यकता है।

1989 के विनियमों के उप-विनियमों (1) और (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों को संयुक्त रूप से पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि केवल दोषसिद्धि के आधार पर संपूर्ण पेंशन, वह भी स्थायी रूप से, संगत परिस्थितियों में उचित विचारण बिना नहीं रोकी जा सकती है, क्योंकि ऐसा परिणाम कानून के संचालन द्वारा स्वचालित नहीं है। सक्षम प्राधिकारी के पास इस बारे में काफी गुंजाइश और विवेकाधिकार उपलब्ध है कि क्या पूरी पेंशन या उसके एक हिस्से को रोक दिया जाना चाहिए या क्या इस तरह की रोक निर्दिष्ट अवधि के लिए या स्थायी रूप से होनी चाहिए। इस प्रकार, अनिवार्य रूप से यह प्रक्रिया विवेकाधीन प्रकृति की होने के कारण, इसे पहले से तय निष्कर्ष का मामला नहीं कहा जा सकता है कि सभी मामलों में, प्रासंगिक विचारों के बावजूद, किसी मामला विशेष में दोषसिद्धि पर केवल एक परिणाम सामने आना चाहिए।

उस स्थिति में गंभीर नागरिक परिणाम सामने आते हैं जहां किसी व्यक्ति की पेंशन पूरी तरह से या आंशिक रूप से रोक दी जाती है या वापस ले ली जाती है। भले ही 1989 के विनियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान निहित नहीं है जिसमें नोटिस जारी करने, सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और प्राधिकारी पर इस तरह की कठोर शक्ति के साथ प्राधिकारी के लिए निहित कर्तव्य विनियमों में निहित है। जहां प्राधिकरण अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करता है और

यदि इसकी कार्रवाई के परिणामस्वरूप नागरिक परिणाम होते हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नोटिस जारी करने और निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। कोई प्रावधान है या नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता सार्वजनिक शक्ति के साथ निवेश किए गए प्राधिकरण को निंदा करने से पहले व्यक्ति को सुनने के लिए बाध्य करेगी। इस सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य, एआईआर 1978 उच्चतम न्यायालय 851 के मामले में अपने संविधान पीठ के निर्णय में तय किया है।**

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **राम सेवक मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 2017 (4) एमपीएलजे 428** के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय और **प्रेम चंद ढांड बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2019 (2) एससीटी 662** के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी भरोसा किया।

उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि दोषसिद्धि के आधार पर पेंशन रोकने/वापस लेने का निर्णय लेने के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कोई भूमिका नहीं है।

रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने विशिष्ट आधार उठाया था कि उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए, इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता थी। अपीलार्थी द्वारा दिए गए तथ्यात्मक बयान के लिए प्रत्यर्थी से जवाब की आवश्यकता होगी कि क्या सुनवाई का अवसर दिया गया था या नहीं। इसलिए, इस मामले में जांच किए बिना रिट याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता था।

नतीजतन, आक्षेपित आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाता है। रिट याचिका को उसकी मूल संख्या में बहाल किया जाता है।

तदनुसार, इस अपील का निपटान किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति **(मणींद्र मोहन श्रीवास्तव), कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति**

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Sanjay Kumawat-46